ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 91
ANSWERED ON-31.07.2024

EXCISE DUTY SHARED WITH RURAL LOCAL BODIES

91. SHRI IMRAN PRATAPGARHI:

Will the Minister of PANCHAYATI RAJ be pleased to state:

(a) whether any share of Excise Duty received by Government is also shared with the rural local bodies;

(b) if so, the details thereof, State-Wise; and

(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ

(SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (c) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 91 FOR AN ANSWER ON 31.07.2024 REGARDING 'EXCISE DUTY SHARED WITH RURAL LOCAL BODIES'

(a) to (c) Sir, the Finance Commission has the mandate under article 280 (3) (bb), of the Constitution of India, to recommend "the measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats."

As per recommendations of Central Finance Commission, the Union Ministry of Panchayati Raj recommends to the Union Finance Ministry for release of grants to Rural Local Bodies of various States. These recommendations are based on eligibility conditions fixed by the current Finance Commission and are placed as Annexure A.

The State-wise allocation of the Fifteenth Finance Commission grants (2021-26) to Rural Local Bodies is at Annexure B.

The Central Finance Commission is constituted by the Union Finance Ministry and its recommendations are also made to the Finance Ministry. The Ministry of Panchayati Raj receives recommendations with regard to funds allocated for Rural Local Bodies.

*****

Annexure-A

(Annexure referred to in reply to parts (a) to (c) of the Rajya Sabha Starred Question No. 91 answered on 31.07.2024)

Eligibility criteria for release of Fifteenth Central Finance Commission Grants to Rural Local Bodies by Ministry of Panchayati Raj

The following conditions have been stipulated in the guidelines for the release of installments of Basic (Untied) grants for FY 2024-25.

i. RLBs shall be deemed to be eligible for the grants, if they are duly constituted i.e if duly elected bodies are in place except for States/ Areas where Part IX of the Constitution does not apply. In case, all the bodies are not duly constituted grants shall be released to the State on actual allocation / pro-rata basis for duly constituted only.

ii. Uploading of GPDPs/BPDPs/ DPDPs of the RLBs in eGramSwaraj

iii. RLBs have to mandatorily onboard on eGramSwaraj – PFMS for XV FC Grants' transactions.

iv. RLBs to mandatorily prepare and make available online both provisional account of previous year and audited accounts of year before previous year to avail the grants

v. Unspent Balance of XIV FC Grants with the State should not be more than 10 % of the instalment under consideration.

vi. At least 50 % of the Untied grants released during the previous year have been utilized (valid only for release of 2nd installment of the FY).

vii. All states which have not done so, must constitute State Finance Commission (SFC), act upon their recommendations and lay the explanatory memorandum as to the action taken thereon before the State legislature on or before March 2024. After March 2024, no grants shall be released to State that has not complied with the Constitutional provisions in respect of the SFC and these conditions.

——

Annexure B

(Annexure referred to in reply to parts (a) to (c) of the Rajya Sabha Starred Question No. 91 answered on 31.07.2024)

The State-wise allocation of the Fifteenth Finance Commission grants (2020-21 to 2025-26) to Rural Local Bodies

Sr. No	**States**	**Allocation (2020-21 to 2025-26)* (Rs. in Cr)**
1.	Andhra Pradesh	12856
2.	Arunachal Pradesh	1131
3.	Assam	7857
4.	Bihar	24579
5.	Chhattisgarh	7123
6.	Goa	368
7.	Gujarat	15650
8.	Haryana	6193
9.	Himachal Pradesh	2102
10.	Jharkhand	8274
11.	Karnataka	15756
12.	Kerala	7972
13.	Madhya Pradesh	19511
14.	Maharashtra	28540
15.	Manipur	867
16.	Meghalaya	893
17.	Mizoram	455
18.	Nagaland	611
19.	Odisha	11058
20.	Punjab	6798
21.	Rajasthan	18915
22.	Sikkim	207
23.	Tamil Nadu	17666
24.	Telangana	9048
25.	Tripura	937
26.	Uttar Pradesh	47764
27.	Uttarakhand	2813
28.	West Bengal	21611
	Total	297555

* Note: This includes the grant of Rs.60750 Crore for the interim award period of 2020-21.

*****

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 91
दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ उत्पाद शुल्क साझा किया जाना

91 श्री इमरान प्रतापगढ़ी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को प्राप्त होने वाले उत्पाद शुल्क का कुछ हिस्सा ग्रामीण स्थानीय निकायों को भी दिया जाता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ उत्पाद शुल्क साझा किया जाना" के सम्बंध में दिनांक 31.07.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 91 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लेखित विवरण।

(क) से (ग) महोदय, वित्त आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (खख) के तहत "पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों" की अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है।

केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को अनुशंसा करता है। ये सिफ़ारिशें वर्तमान वित्त आयोग द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों पर आधारित हैं जो कि **अनुबंध-क** के रूप में रखा गया है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान (2021-26) का राज्य-वार आवंटन **अनुबंध-ख** में है।

केंद्रीय वित्त आयोग का गठन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसकी अनुशंसा भी वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती हैं। पंचायती राज मंत्रालय को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आवंटित राशि की अनुशंसा प्राप्त होती हैं।

*****

अनुबंध-क

(दिनांक 31.07.2024 को राज्य सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *91 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुदान जारी करने के लिए पात्रता मानदंड

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मूल (अबद्ध) अनुदान की किस्तों को जारी करने के लिए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा, यदि वे विधिवत रूप से गठित हैं, अर्थात यदि विधिवत निर्वाचित निकाय मौजूद हैं, सिवाय उन राज्यों/क्षेत्रों के जहां संविधान का भाग IX लागू नहीं होता है। यदि सभी निकाय विधिवत रूप से गठित नहीं हैं, तो अनुदान केवल विधिवत रूप से गठित निकायों के लिए वास्तविक आवंटन/अनुपात के आधार पर राज्य को जारी किया जाएगा।

i. ई-ग्राम स्वराज में ग्रामीण स्थानीय निकायों के जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी अपलोड करना

ii. ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के लेन-देन के लिए अनिवार्य रूप से ई-ग्राम स्वराज– पीएफएमएस पर ऑनबोर्ड होना होगा।

iii. ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के अनंतिम खाते और पिछले वर्ष से पहले के वर्ष के लेखापरीक्षित खातों को अनिवार्य रूप से तैयार करना और ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा

iv. राज्य के पास चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों का अप्रयुक्त शेष विचाराधीन किस्त के10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

v. पिछले वर्ष के दौरान जारी किए गए अबद्ध (अनटाइड) अनुदानों का कम से कम 50% उपयोग किया गया है (केवल वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त जारी करने के लिए वैध)।

vi. जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना होगा और मार्च 2024 तक या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। मार्च 2024 के बाद, ऐसे राज्यों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने राज्य वित्त आयोग और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

____

अनुबंध-ख

(दिनांक 31.07.2024 को राज्य सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *91 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान (2020-21 से 2025-26) का राज्यवार आवंटन

क्र.सं.	**राज्य**	**आवंटन (2020-21 से 2025-26)* (रुपये करोड़ में)**
1.	आंध्र प्रदेश	12856
2.	अरूणाचल प्रदेश	1131
3.	असम	7857
4.	बिहार	24579
5.	छत्तीसगढ़	7123
6.	गोवा	368
7.	गुजरात	15650
8.	हरियाणा	6193
9.	हिमाचल प्रदेश	2102
10.	झारखण्ड	8274
11.	कर्नाटक	15756
12.	केरल	7972
13.	मध्य प्रदेश	19511
14.	महाराष्ट्र	28540
15.	मणिपुर	867
16.	मेघालय	893
17.	मिजोरम	455
18	नागालैण्ड	611
19.	ओडिशा	11058
20.	पंजाब	6798
21.	राजस्थान	18915
22.	सिक्किम	207
23.	तमिलनाडु	17666
24.	तेलंगाना	9048
25.	त्रिपुरा	937
26.	उत्तर प्रदेश	47764
27.	उत्तराखण्ड	2813
28.	पश्चिम बंगाल	21611
	कुल	297555

* नोट: इसमें 2020-21 की अंतरिम अवार्ड अवधि के लिए 60750 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।

*****

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को विस्तृत उत्तर देने के लिए धन्यवाद, लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई से मेरे प्रश्न का, एकत्रित केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ग्रामीण निकायों को कितना शेयर दिया जाता है, उसका जवाब नहीं दिया है। इन्होंने वित्त आयोग की सिफारिश द्वारा हर राज्य को दिए जाने वाले अनुदान की बात की है, लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क का ब्यौरा...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Put your supplementary.

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : सर, मैं पहला सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूं। कितना हिस्सा स्थानीय ग्रामीण निकाय को दिया जाता है, उस पर खामोश हैं। अगर डेटा उपलब्ध हो, तो कृपया सदन के पटल पर रखें और अगर न उपलब्ध हो, तो उपलब्ध कराने की कृपा करें।...(**व्यवधान**)...

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल : महोदय, यद्यपि यह प्रश्न पूरी तरह वित्त विभाग से संबंधित है, इसके बावजूद हम लोगों ने इसको take up किया है और मैं उसका जवाब देने के लिए और माननीय सदस्य को पूरी तरह संतुष्ट करने का काम करूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, आप माइक को थोड़ा अपने नजदीक कीजिए और आवाज को थोड़ा ऊंचा कीजिए।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल : महोदय, specific supplementary, जो उत्पाद शुल्क के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : मंत्री जी, आप माइक को बिल्कुल पास में रखिए, तब आवाज आएगी।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल : तो विभाग के जो घटक हैं, अलग-अलग टैक्सेज़ हैं - निगम कर, आय कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वस्तु कर, संघ राज्य क्षेत्रों के कर, लेकिन जहां तक specific सवाल पूछा गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का, तो 2023-24 में 13 परसेंट ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिया गया है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Imran Pratapgarhi.

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : महोदय, केंद्र स्थानीय निकायों को धन आवंटित करता है, तो उसे लोकल बॉडीज़ किन-किन कार्यों पर खर्च कर रही है। यह पहली बात है। दूसरा, उसकी निगरानी के लिए मंत्रालय के पास क्या mechanism है, क्योंकि कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने आवंटित राशि का पूर्ण और सही उपयोग किया है और कौन से राज्य हैं, जहां घोटाले की बात सामने आई है, क्योंकि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: You have put your question. Hon. Minister.

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : सर, क्वेश्चन पूरा करने दें। आंगनवाड़ी में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें हैं। क्या मंत्रालय के पास कोई ऐसा mechanism है, जो इन चीजों की निगरानी कर सके।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : सर, प्रश्न तो पूरा कर लेने दीजिए। बड़ी मुश्किल से कई महीनों में तो प्रश्न आता है, तो उसे पूरा पूछने दीजिए।

पंचायती राज मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि फाइनेंस कमीशन से हमें पंचायतों के लिए जो अनुशंसा प्राप्त होती है, उसको हम राज्यवार पंचायतों को जारी कर देते हैं। उसके मापदंड बने हुए हैं कि किन-किन मापदंडों पर हम राज्यों को पैसा देते हैं। उसके अलावा हम सीधे, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनको पैसा ट्रांसफर करते हैं। उनके लिए भी मापदंड बना हुआ है कि जिन-जिन राज्यों में पैसे का खर्च किन-किन आधार पर होना है, वह अगर राज्य नहीं करते हैं, तो फिर अगली किश्त हम उनको जारी नहीं करते हैं। उसकी सारी गाइडलाइन्स उपलब्ध हैं। माननीय सदस्य कहेंगे कि बहुत लंबी गाइडलाइन है। अगर माननीय सदस्य कहेंगे, तो हम एक-एक गाइडलाइन को पढ़कर बता देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, उसने फाइनेंस कमीशन के रिकमंडेशन को प्रतिवर्ष बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि मोदी जी की सरकार का यह संकल्प है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 54 रुपये से बढ़कर मोदी जी के शासन-काल में इस बार प्रति व्यक्ति 674 रुपये हम पंचायतों को आवंटित कर रहे हैं। यह हमारी उपलब्धता है और इसके आधार पर हम काम करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shri Kartikeya Sharma.

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Hon. Chairman, Sir, I would like to thank the Government for releasing more than Rs. 6,000 crores for the Rural Local Bodies in Haryana. But my question is this. I would like to ask the hon. Minister whether any flexibility in use and d*ovetailing* of different funds is allowed to RLBs to achieve higher efficiency and utilization percentage.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

प्रो. एस.पी. सिंह बघेलः सर, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, मोदी जी का एक समदर्शी कार्य है, चाहे भाजपा शासित राज्य हों, एनडीए के राज्य हों या गैर भाजपा शासित राज्य हों, सभी को नियमानुसार दिया जाता है। एक नियम है, जिसमें 90 परसेंट जनसंख्या और 10 परसेंट क्षेत्र का परिमाप होता है। उसके अनुसार राज्य वित्त आयोग केन्द्रीय वित्त आयोग से मांग करता है। हम लोग केन्द्रीय वित्त आयोग की रिकमंडेशन को वित्त मंत्रालय को भेजते हैं और उसके अनुसार वह धन आवंटित होता है।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: सभापति महोदय, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं। जो उन्होंने खर्च करने के लचीलेपन के बारे में कहा है, जो हम पंचायतों को पैसा रिलीज करते हैं, उसमें से 30 प्रतिशत पेयजल पर खर्च होता है, रैन वाटर के कंजरवेशन के लिए और जल पुनर्चक्रण के लिए हम 30 परसेंट खर्च करने की अनुमति पंचायतों को देते हैं। उसके अतिरिक्त कचरा प्रबंधन, सफाई के काम के लिए, 30 प्रतिशत खर्च करने की अनुमति हमने पंचायतों को गाइडलाइन में दे रखी है। इसले 30-30 प्रतिशत हम उस पर खर्च करने का काम करते हैं। इसके अलावा कोई लचीलापन नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इसके लिए भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार पंचायतों को राशि खर्च करनी पड़ती है।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shrimati Seema Dwivedi.

श्रीमती सीमा द्विवेदीः सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा अपने लिखित उत्तर में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग द्वारा 2020-21 से 2025-26 तक का राज्यवार आवंटन दर्शाया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश को 47,764 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मान्यवर, इसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा धन दिया है। मान्यवर, मेरी खाली जिज्ञासा यह है कि जो पैसा प्रदेशों को जाता है, वह पैसा प्रदेश में सभी जिलों को बराबरी पर मिलता है अथवा जो जिला खर्च करके अपनी रिपोर्ट देता है, उसको मिलता है। जिले में उसको आवंटित करने का क्या मानक है, यह मैं सरकार से जानना चाहती हूं।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी, यह आपके प्रांत का प्रश्न है।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेलः माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश आबादी के अनुसार देश का बड़ा सूबा है, तो स्वाभाविक बात है कि वहां पर ज्यादा धन आएगा और क्षेत्र के मामले में भी आपसे छोटा है, लेकिन फिर भी बड़ा है। हम लोग यहां से जो पैसा भेजते हैं, अब वह सीधे राज्य के अकाउंट में जाता है, वहां से जिले के अकाउंट में जाता है और जिले के अकाउंट से सीधे ग्रामीण स्थानीय निकायों को भेजते हैं। यह डिपेंड करता है कि उस पंचायत की जनसंख्या कितनी है, आपने देखा होगा कि कोई ग्राम पंचायत हजार लोगों की संख्या पर होती है, कुछ 8 हजार, 10 हजार पर भी होती है, तो यह जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार 90 और 10 के अनुपात से दिया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 5; Shri M. Shanmugam.

SHRI M. SHANMUGAM: Sir, I want to ask a supplementary question through you. What measures are taken by the Ministry of Panchayati Raj to ensure transparency and accountability in Panchayati Raj Institutions?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

प्रो. एस.पी. सिंह बघेलः माननीय सभापति महोदय, इसमें जो उपाय किए जा रहे हैं, पहले तो यह होता है कि पिछला वर्ष 14वें वित्त आयोग का जो अंतिम है, उसमें 10 परसेंट से ज्यादा वहां अनुपयोगी बजट नहीं होना चाहिए। जो दूसरी किश्त जाती है, उसमें जब 50 परसेंट उपयोग हो जाएगा, उसके बाद दूसरी किश्त जारी की जाएगी। इसके लिए ऑडिट भी होता है। उसके बाद, जब उसके पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी जाती है, तो हम उसके अनुसार पैसा जारी करते हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब में एक बात ऐड करना चाहता हूं। उसका एक सबसे बड़ा क्राइटीरिया, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए है, वह यह है कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है, इससे पहले वाला वित्तीय वर्ष - जैसे कि यह 2024-25 वित्तीय वर्ष है, तो उस पंचायत की 2023-24 के वित्तीय वर्ष की एकाउंटिंग कम्प्लीट होनी चाहिए और उसके पहले वाले वित्तीय वर्ष का ऑडिटिड एकाउंट ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए। उसके बाद ही हम पारदर्शिता के आधार पर उन्हें अगली किस्त जारी करते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न संख्या 92.